न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 02/2011

प्राथी		विप्रार्थीगण
गोविन्दराम पुत्र श्री धींगड़मल जाति सोनी निवासी जसोल तहसील पचपदरा	बनाम	1. भंवरदास पुत्र शिवदास जाति संत निवासी जसोल 2. ग्राम पंचायत जसोल जरिये सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.5.2004 एवं पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.05..2004 जो ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. श्री मदनलाल सिंहल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पुरूषोतम सोलंकी अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. विप्रार्थी संख्या 02 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 19.6.2017

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जसोल द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.5.2004 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत जसोल द्वारा संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.5.2004 के द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत नियमों व वास्तविक स्थिति एवंम तथ्यों की अनदेखी कर पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 जारी किया गया, जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरीत वास्तविक काबिज व्यक्तियों को बिना सुने विप्रार्थी को निजी लाभ पहुंचाने हेतु जारी किया गया

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

है। अतः ग्राम पंचायत जसोल द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 को निरस्त किया जाए।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत जसोल से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया गया।

4. विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 27.3.2012 को जवाब पेश करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी ने पेश निगरानी में अपने मकान के पड़ौस गलत दर्शाये है। पद संख्या 02 के जबाव में बताया कि प्रार्थी ने पट्टा संख्या 162 दिनांक 14.9.1985 का मकान राधाकिशन से खरीदा था, उसके पट्टे को चुनौती देते हुए एक निरगानी संख्या 76/2002 माननीय न्यायालय में अनवान पुखराज बनाम ग्राम पंचायत जसोल व राधाकिशन व अन्य दायर की गई जिसे दिनांक 25.6.2003 को खारिज किया गया। इससे व्यतीत होकर पुखराज ने माननीय राज.उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन संख्या 5028/2003 दायर की, जो लम्बित है। प्रार्थी ने जिस मकान को खरीदना बताया है वह मकान मंदिर श्री कन्हैयालालजी की सम्पति है, जो केवल मंदिर के पुजारी के आवास हेतु है। मंदिर की सम्पति होने से उसे विक्रय करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा उसका पट्टा राधाकिशन के पक्ष में जारी करने का विषय भी विवादास्पद है। पद संख्या 03 स्वीकार, एवं पद संख्या 04 अस्वीकार होना बताया। पद संख्या 05 सारहीन एवं पद संख्या 06 गलत होना बताया। पद संख्या 07 के जवाब में दर्शाया कि जब बना हुआ मकान भौतिक रूप से उपलब्ध हो तो अन्य नक्शे की आवश्यकता नहीं रहती। पद संख्या 08 के जवाब में बताया कि अधिक क्षैत्रफल चौक की जमीन का नरपतदास, रामदास पुत्र शंकरलालजी व विप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास के संयुक्त उपयोग के प्रयोजन से जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। पद संख्या 09 व 10 गलत होने से अस्वीकार हैं, प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी खारिज की जाऐं।

5. हमने पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी। बहस के दौरान् प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 19.9.1992 को बना बनाया मकान श्री राधाकिशन पुत्र हंजारीदास से खरीदा था जिसका पट्टा संख्या 162 बेचानकर्ता श्री राधाकिशन ने ग्राम पंचायत जसोल से दिनांक 14.9.1885

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

को बनाया था। उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास के सगे चाचा पुखराज द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में निगरानी संख्या 76/2002 पेश की थी, जिसे दिनांक 25.6.2003 को खारिज किया गया। प्रार्थी के उक्त आवासीय मकान के दक्षिण में आम रास्ता आया हुआ है, जिसे रोक कर उस भूमि का पट्टा संख्या 12 दिनांक 7.9.1992 ग्राम पंचायत से जारी करवाया गया। यह पट्टा आम रास्ते की भूमि का बनाये जाने के कारण प्रार्थी ने विप्रार्थी भंवरदास के विरूद्व श्रीमान् जिला कलक्टर न्यायालय में निगरानी संख्या 02/2001 पेश की गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए भंवरदास के पक्ष में जारी किये गये पट्टा विलेख पत्र संख्या 12 दिनांक 7.9.1992 को निरस्त कर, ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये गये कि दोनो पक्षों को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर देते हुए उचित आदेश पारित किये जावें। जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो की अनदेखा करते हुए ग्राम पंचायत जसोल द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास के पक्ष में निगरानाधीन पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 जारी किया गया। उक्त पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जानबूझकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं एकतरफा कार्यवाही करते हुए विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा निगरानाधीन पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियमो की पूर्ण पालना नहीं की गई। भंवरदास ने दिनांक 25.7.2003 के अपने प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा 259.38 वर्ग गज भूमि पर होना बताया जबकि पट्टा 418.83 वर्ग गज का जारी किया गया है। विप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास को पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 150 से 152 के तहत राशि रूपये 4190/– जमा कर पट्टा जारी किया गया है। नियम 150 से 152 आबादी भूमि निलामी से संबंधित हैं, परन्तु पट्टा जारी करने से पूर्व निलामी की कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्राथी की निगरानी स्वीकार की जाकर विप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 खारिज किया जाये।

6. विप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि ग्राम पंचायत जसोल द्वारा पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 को जारी किया गया है, जबकि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रार्थी द्वारा पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी वर्ष 2011 में पेश की गई तथा निगरानी देरी से पेश करने का कोई स्पष्ट और उचित कारण भी नहीं दर्शाया गया। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा निगरानाधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों के तहत विधिवत रूप से मौका फर्द व मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर, मिसल कायम कर पट्टा जारी किया गया है। विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा पंचायती राज नियमो के नियम 150 से 152 में जारी नहीं किया गया है, बल्कि नियम 157 (1)(क) में समस्त निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी में निगरानाधीन पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं बताई गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है।

7. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत जसोल से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत जसोल ने अप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास द्वारा आवेदन करने पर पंचायती राज नियमों के नियम 156(1)(क) के अनुसार मिसल संख्या 07/2003–04 कायम कर विधिवत रूप से राशि 4190/– जमा कर पट्टा जारी किया गया है। विप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास द्वारा दिनांक 25.7.2003 को भूमि विक्रय विलेख जारी करने हेतु आबादी भूमि का पट्टा जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में सरपचं ग्राम पंचायत जसोल के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा दिनांक 20.8.2003 को आपतियॉ मांगने की जारी की गई सूचना–पत्र को रूबरू मौतबिरान के चस्पा किया गया। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपति प्राप्त नहीं होने पर कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान् शैतानसिंह पुत्र दुर्गसिंह उम्र 68 वर्ष जाति राजपूत सा. जसोल एवं पुखराज पुत्र श्री रामचन्द उम्र 70 वर्ष जाति सुथार सा. जसोल ने अपने बयानो में ग्राम जसोल की आबादी भूमि पर भंवरदास पुत्र शिवदास का पुराना कब्जा एवं रहवास होना बताया। उक्त विधिवत कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद ग्राम पंचायत जसोल द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156(1)(क) के तहत आपसी बातचीत द्वारा रूपये 10/– प्रति वर्गगज की दर से राशि जमा करवाने पर भूमि विक्रय पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156(1)(क) के अनुसार पंचायत किसी भी आबादी भूमि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

को प्राईवेट बातचीत से विक्रय के जरिये अंतरित कर सकेगी जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नही हो सकती है। ग्राम पंचायत जसोल ने विप्रार्थी संख्या 01 को राशि रूपये 4190/– कीमतन पट्टा जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 को संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.5.2004 के अनुसरण में निगरानाधीन पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 जारी करने में कोई विधिक त्रुटि प्रार्थीपक्ष साबित नहीं कर पाये। अतः प्रार्थी द्वारा पेश हस्तगत निगरानी खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है तथा संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.5.2004 के अनुसरण में विप्रार्थी संख्या 01 भंवरदास के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 257 दिनांक 20.5.2004 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.6..2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)